



2026:AHC:3422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19771 वर्ष 2025

विशाल कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : जगदीश नारायण द्विवेदी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल, राजेश कुमार विद्यार्थी

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे. एन. द्विवेदी और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार विद्यार्थी के तर्कों को सुना गया।
2. इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है, विशेष रूप से तब जब नियुक्ति आदेश पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान जिले से पारित किया गया था और बर्खास्तगी आदेश राजस्थान राज्य के टोंक जिले का है। इस संबंध में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य, 2005 (1) यूपीएलबीईसी 108 के फैसले पर भरोसा किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त कानूनी स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई है।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।